खण्ड-394, अंक-2
बुधवार, 20 पौष, शक संवत् 1911
(10 जनवरी, 1990 ई0)

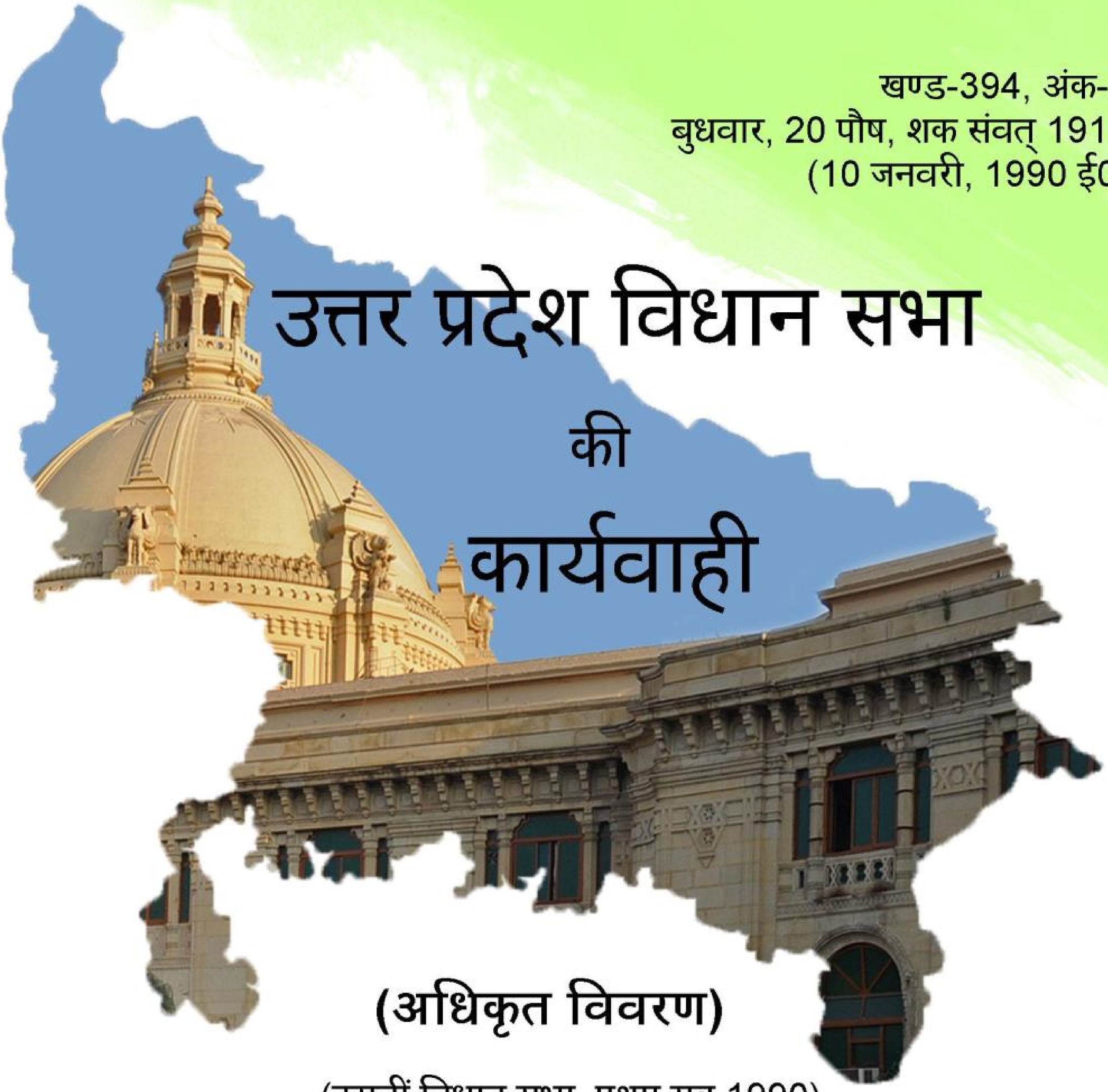

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1990)

खण्ड 394 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ (जारी) ..	1
अभिभाषण की लिखित प्रति श्री राज्यपाल के अभिभाषण का मूल पाठ न होने तथा श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़े न जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ	3
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (सदन के पटल पर पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 .. (सदन के पटल पर रखा गया।)	12
उत्तर प्रदेश कृषिउत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 (सदन के पटल पर रखा गया)	12
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (सदन के पटल पर रखा गया)	13
उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (सदन के पटल पर रखा गया।) ..	13
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1984-85 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1984-85 (सदन के पटल पर रखा गया।)	13
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 1989 .. (सदन के पटल पर रखी गयी।)	14
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1989 .. (सदन के पटल पर रखी गयी।)	14
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या एस-टी-दो0-871/दस-7(16)-84 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	14
कार्य सूची उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में श्री मुईद अहमद, स0वि0स0 की आपत्ति .. (जारी)	14
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या वि0क0-2-2386/8-6(10)-85-उ0प्र0 अधि0 15/48-आदेश-89 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	15
कार्य सूची उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुईद अहमद स0वि0स0 की आपत्ति	15
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 (सदन के पटल पर रखी गयी।)	15
शपथ ग्रहण न करने वाले सदस्यों को शपथ ग्रहण कर लेने की सूचना ..	15
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन के संबंध में लोक सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र (सदन के पटल पर रखा गया।)	16
उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	16

	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	17
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	17
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989 .. .. (अधिनियम बन गया।)	17
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	17
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 (अधिनियम बन गया।) ..	18
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	18
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	18
उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	18
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 .. .. (अधिनियम बन गया।)	19
उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	19
उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 (अधिनियम बन गया।) ..	19
श्री प्रमोद कुमार के बार-बार उठकर खड़े होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	19
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	21
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 .. (अधिनियम बन गया।)	21
प्रक्रिया नियमावली के नियम 23 के अनुपालन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न .. (अधिनियम बन गया।)	21
	22
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	22
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटी फाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरः स्थापित) ..	24
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित)	24

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभा सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी	इलाहाबाद	विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	शिवराज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
जयशंकर पाण्डेय, श्री	फैजाबाद	संत श्री राम द्विवेदी, श्री	फैजाबाद
दया राम भास्कर, श्री	आजमगढ़	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं :–

माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1990 के प्रथम सत्र के .

अभिभाषण की लिखित प्रति श्री राज्यपाल के अभिभाषण का मूल पाठ न होने तथा श्री राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़े न जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उससे मैं पहले आपको सन्तुष्ट कर दूं, उसके बाद फिर आप इसको पढ़ें, तो आपका स्वागत है।

(व्यवधान)

यदि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुनेंगे, तो . . . (व्यवधान)। पढ़ने के पहले आप मेरी बात को सुन लें। मान्यवर, मैं आपसे सम्मानपूर्वक यह व्यवस्था चाहता हूं, अभी आपने जो पढ़ा है, आपने कहा-माननीय सदस्यगण, विधान मण्डल के वर्ष 1990 के किन्तु हम लोगों ने, सबने अपने कानों से सुना है, माननीय राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, मंत्रिगण सम्बोधित किया है। इस तरह आप जो पढ़ रहे हैं वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मूल स्वरूप नहीं है। फिर एक बात यह है कि राज्यपाल ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप किसको पढ़कर सुना रहे हैं? मैं इस चीज़ को तकनीकी रूप से उठा रहा हूं, आप इसको पढ़कर सुना तो रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा नहीं है, उसको आप यहां प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं?

(व्यवधान) (एक सदस्य के खड़े होने पर)

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उनसे (श्री अध्यक्ष से) उठाया है।

(दोनों पक्षों के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जनार्दन ओझा जी, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि इस पर पहले आप मेरा एक निर्णय सुन लें (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

किस पर आप व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

दोनों बातों पर। पहले विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के विषय में मैं कोई भी चर्चा की अनुमति इस सदन में नहीं दूंगा और यह पहले की ही व्यवस्था है। जो दूसरी बात आपने उठाई है, उस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह इस पर जो कहना चाहते हैं, कहें।

श्री प्रमोद कुमार–

यह तो ठीक है कि आप उनके (मा0 राज्यपाल) आचरण पर कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके अभिभाषण पर आपको सुनने का और उस पर अपनी व्यवस्था देने का अधिकार है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तकनीकी रूप से अपनी बात को कह रहा हूं . . . (व्यवधान)। आप न्याय कर दीजिये। उस कुर्सी पर बैठकर आप अन्याय नहीं कर सकते हैं। महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा, उसके मूल स्वरूप से हटकर आप कैसे पढ़ सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आप हमारी व्यवस्था पर कोई अपनी व्यवस्था देने की कृपा न करें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) –

यह सत्र का पहला दिन है, हम सबको संसदीय परम्पराओं का ठीक से अनुपालन करना चाहिए। (व्यवधान) मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, एक तो जब अध्यक्ष खड़े हों तो संसदीय परम्पराओं के अनुकूल, प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आप बैठ गये और इनकी बात कृपापूर्वक सुनी, उसके बाद आपने व्यवस्था दी। तिवारी जी ने आपकी व्यवस्था के विपरीत भाषण देना शुरू कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण को पढ़ने के लिए सदन में आए और उन्होंने पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ी। (व्यवधान) संविधान की पूर्ति हो गई। जो अभिभाषण की प्रति राज्यपाल महोदय को मिली और उन्होंने पढ़ी, वही राज्यपाल जी का अभिभाषण है। उसी पर चर्चा हो सकती है। हम चाहेंगे कि इस पर और कोई बहस न कराई जाए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

जो यहां बैठकर संसदीय परम्पराओं की हत्या करते थे वही संसदीय परम्पराओं की बात कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य को जब हम पुकारें, तभी वह खड़े होकर बोलें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मूल पार्ट मंगा लें उन्होंने मुख्य मंत्री और मंत्रीगण को सम्बोधित किया है और आप सम्बोधित नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार संशोधन ला रही है ? (घोर व्यवधान) मान्यवर, आप उसका मूल स्वरूप मंगा लें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं बहुत नम्रतापूर्वक प्रमोद तिवारी जी से निवेदन करूंगा, जब आप खड़े हुए और आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, तब मैंने खड़े होकर बोलना प्रारम्भ कर दिया था, फिर

मैं आपके सम्मान में स्वयं बैठ गया, आपकी बात को सुना और व्यवस्था दी। उसके बाद जो आपने दूसरी बात कही, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनना था, उसको सदन ने सुना। वह यही चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले, जैसे कि कल विचार व्यक्त किये गये थे। आपने एक बात कही उसका उत्तर दे दिया गया। (घोर व्यवधान)

अब आप सब लोग शान्त हो जाएं। (घोर व्यवधान)

अब आप शांत हो जायें।

देखिये, राज्यपाल के भाषण का मूल स्वरूप वही है जिसकी एक प्रति मुझे दी गयी है और जिसका एक अंश उन्होंने स्वयं पढ़ा और जिसकी प्रति उन्होंने पटल पर भी रखी है। मैं उसी की प्रति पढ़ रहा हूं।

(शोर)

श्री जयराज गौतम–

मान्यवर, तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उस पर निर्णय दें दें।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो आपत्ति उठायी कि यह अभिभाषण पढ़ा नहीं गया तो उसके संबंध में मुझे आपसे यह कहना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्पष्ट इस विषय में रूलिंग है। इसी तरह का विवाद उठा था, उसमें निर्णय दिया गया था कि यदि राज्यपाल का भाषण प्रस्तुत हो गया है, पटल पर रख दिया गया है तो वही भाषण माना जायगा जो पटल पर रखा गया है। अगर राज्यपाल ने कोई बात संबोधन के पहले कही तो उस पर मैं कोई चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा और न आपत्ति उठाने की अनुमति दूंगा।

अब मैं आगे बढ़ता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, इसकी प्रतियां दिलवाइये।

श्री भोलानाथ–

मान्यवर, पहले आप व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दीजिये तब अभिभाषण पढ़िये।

श्री अध्यक्ष–

आपको प्रतियां मिल जायेंगी।

श्री जयराज गौतम–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, आपकी पीठ से उसका स्पष्ट उत्तर आ जाय।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, विधान मंडल के वर्ष 1990 के प्रथम सत्र के अवसर पर आपको सम्बोधित करते हुये मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत भी करता हूं। मैं उन महान विभूतियों की दिवंगत

आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं जो गत वर्ष हमारे बीच नहीं रहे । विशेष रूप से स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा, वीर बहादुर सिंह, एस0 एम0 जोशी तथा सरयू पाण्डेय का उल्लेख करना चाहूंगा । (मेजों की थपथपाहट)

[2–दसवीं विधान सभा के सभी सदस्यों को चुनाव में कामयाबी के लिये मेरी हार्दिक बधाई । पिछले आम चुनाव से देश में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है । जनता ने वास्तविक लोकतन्त्र एवं परिवर्तन के पक्ष में मत दिया है । कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेकारी, असमानता, असुरक्षा की भावना, भ्रष्टाचार, मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन जैसी समस्याओं से जनता त्रस्त थी । जन आकांक्षाओं के लिए नई प्रतिबद्धता से परिपूर्ण, प्रदेश में मौलिक विचारधारा से प्रेरित एक नई सरकार आयी है जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का संस्कार जगाना है । एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो आम लोगों के लिए कल्याण कारी होगी । अब एक नई आशा जागी है । नया विश्वास उत्पन्न हुआ है । उम्मीद करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने आपको चुना है उसकी पूर्ति के लिए आप संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की मर्यादाओं और परम्पराओं के अनुरूप राज्य और देश की प्रगति के लिये निष्ठा, लगन और मेहनत से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।]

3–प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके । यह ऐसा पावन कार्य है जिसके लिए सभी को आपसी मतभेद भुलाकर रचनात्मक रूप से अपना योगदान देना है । मेरी सरकार आपसी सामंजस्य एवं सहमति की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देकर प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिये तत्पर है ।

4–सरकार ने केवल पांच सप्ताह पूर्व ही कार्यभार संभाला है और वह राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी नीतियों की संरचना एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन की रूप रेखा तैयार करने में तत्परता से जुट गई है । राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुये विकास की प्रचुर सम्भावना है । एक पिछड़े प्रदेश की जनता की विकास संबंधी आकांक्षायें भी स्वाभाविक हैं । किन्तु संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को तैयार किया जाना है । मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि योजना को तैयार करने में निर्वाचित लोकतांत्रिक संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी हो तथा योजना सही अर्थों में जन-साधारण की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर आधारित हो ।

5–आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांकों के आधार पर उत्तर प्रदेश को पिछड़े प्रदेशों में वर्गीकृत किया जाता है । वर्ष 1987-88 में प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 3284 रुपये था जबकि उत्तर प्रदेश का औसत उसी अवधि में 2488 रुपये था । इस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भी अपेक्षाकृत अधिक है । गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जनसंख्या के अधिकृत आंकड़े वर्ष 1983-84 के उपलब्ध हैं । राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 37.4 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 45.3 है । राज्य में अब तक चल रही विकास की

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कार्यनीति से असमानता के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्ट रूप से उभर कर आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक मूलभूत न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का जैसे स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, आवास, सड़कों और विद्युत का अभाव बना हुआ है। ग्रामीण जनता के रहन-सहन और आर्थिक स्तर में भी सुधार लाना है। पिछले वर्षों में कृषि का क्षेत्र उपेक्षित रहा है एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये नये सिरे से सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। त्वरित औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं की कमी का अनुभव किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही नये केन्द्रीय योजना आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के मार्गदर्शन में आठवीं पंचवर्षीय योजना को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जायेगा। मेरी सरकार का प्रयास होगा कि उक्त सभी प्राथमिकताओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में समुचित स्थान मिले।

6—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य निर्बल तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला है। सरकार वचनबद्ध है कि इस वर्ग को ऐसे अवसर उपलब्ध हों जिससे वह विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण बन सके और अपना जीवन सुरक्षा, सम्मान एवं समता के वातावरण में व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य से उन्हें आर्थिक विकास के साधनों को उपलब्ध कराये जाने के कार्यक्रम अपनाये जायेंगे। ग्राम सभा तथा भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के आवंटन कार्य में तेजी लाई जायेगी। भूमि पर अनधिकृत कब्जे को प्रभावी ढंग से समाप्त किया जायेगा तथा निर्बल वर्ग को वास्तविक कब्जा दिलाया जायेगा। उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार के लिये विशिष्ट योजनाओं की संरचना करते हुये उनका शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

7—अल्प-संख्यकों की समस्याओं से यह सरकार पूर्ण सहानुभूति रखती है। सरकार की नीतियों एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनमें सुरक्षा की भावना जागृत हो तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की राष्ट्रीय मुख्य धारा में बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हो सकें।

8—समाज के निर्धन, निराश्रय, अक्षम, व्यक्तियों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जायगी। सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद विधवाओं, विकलांगों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन को 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमास करने की घोषणा की है। अभी तक 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था थी।

9—समाज में महिलाओं की मर्यादा की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने, उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिये मेरी सरकार सतत प्रयत्नशील रहेगी। विकास की प्रक्रिया में और सामाजिक स्तर पर उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उनके सामाजिक शोषण को समाप्त करके समान अवसर प्रदान किया जायेगा। दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों और उनसे सम्बद्ध अपराधों के उन्मूलन के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। बच्चों का कुपोषण दूर करने, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देने की योजनाओं के विवरण एवं कार्यान्वयन को नई

दिशा दी जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मुख्य रूप से स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा ।

10—प्रदेश के विकास और निर्माण में छात्रों और युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ उनके शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास की दिशा में समुचित कदम उठाये जायेंगे जिससे कि युवा शक्ति के अजस्र स्रोत को रचनात्मक दिशा मिले । छात्रों और नौजवानों को प्रेरित कर सम्पूर्ण क्रान्ति लाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के अग्रगामी दस्ते की भूमिका निभाने के लिए इन्हें तैयार किया जायेगा । शिक्षित और प्राविधिक क्षेत्र में कुशल युवाओं को स्वत: रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का भी मेरी सरकार प्रयास करेगी ।

11—भूतपूर्व सैनिकों, विशेष रूप से अपंग सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालना होगा । पुनर्वास के उद्देश्य से उन्हें उत्पादन का भागीदार बनाते हुये उचित आर्थिक अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता दी जायेगी ।

12—मेरी सरकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के संतुलित विकास के लिए वचनबद्ध है । अब तक उपेक्षित ग्रामीण समाज विशेष रूप से किसानों को विकास का वास्तविक लाभ सुनिश्चित करना होगा । ग्रामों में रोजगारपरक और उत्पादक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास पर सरकार निवेश परिव्यय की पचास प्रतिशत धनराशि आवंटित करेगी । सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके । शासन की बागडोर संभालते ही सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर अच्छी प्रजातियों के लिये 41 रुपये और सामान्य प्रजातियों के लिये 38 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित कर दिया है । कृषि उत्पाद के भण्डारण और उनके विक्रय की व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जायेगा जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके और आपात बिक्री की संभावनायें समाप्त हों । कृषि के क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता दी जायेगी । भूमि सुधार कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया जायेगा । भूमि का रकबा बढ़ाने का प्रयास होगा । भूमि के अकृषीय अथवा अनुत्पादक कार्यों में उपयोग को निरुत्साहित किया जायेगा ।

ऊसर, बन्जर तथा बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मेरी सरकार ने भूमि सेना गठित करने का निर्णय किया है । बीहड़ भूमि के सुधार कार्य में तेजी लाई जायेगी। इससे जहां एक ओर कृषि भूमि का रकबा बढ़ेगा वहीं दूसरी ओर दस्युग्रस्त क्षेत्रों की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी ।

ऋण के बोझ से किसानों की आर्थिक स्थिति निर्बल हो गई है । सरकार छोटे किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को 10,000 रुपये से कम के ऋण में राहत देने के लिए वचनबद्ध है और शीघ्र ही समुचित कदम उठायेगी । इस दिशा में केन्द्रीय शासन से विस्तृत मार्गदर्शन की प्रतीक्षा है ।

कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना मेरी सरकार का लक्ष्य होगा । वृहत् तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक तेजी लायी जायेगी, ताकि उनका तत्काल लाभ किसानों को मिल सके । लघु सिंचाई योजनाओं के विस्तार पर बल दिया जायेगा ।

किसानों को कृषि कार्यों हेतु सामयिक एवं समुचित आर्थिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सहकारी ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाया जायेगा ।

पशुधन प्रदेश के विकास के लिये महत्वपूर्ण है । किसान परिवारों के आर्थिक विकास में पशुधन का विशेष योगदान है । अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जायेगा ।

ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के कार्यक्रमों में तेजी लाई जायेगी । इस हेतु आवागमन के साधन महतपूर्ण हैं । ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्ग बनाये जायेंगे ।

13—मेरी सरकार का प्रयास होगा कि ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें । प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील रहेगी । कृषि पर आधारित उद्योगों और लघु उद्योग धन्धों के विकास के लिये वर्तमान सुविधाओं में सुधार किया जायेगा । ऐसे कुटीर उद्योगों जिनमें छोटी मशीनें तथा कम पूंजी लगे और अधिक रोजगार मिल सके, को पूरा प्रोत्साहन दिया जायेगा । ग्रामीण उद्योग धन्धों के लिये ऋण विस्तार सुविधाओं , कच्चे माल की सम्पूर्ति और उनके उत्पादों की बिक्री के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी । छोटे और कुटीर उद्योग के नाम पर ऋण हड़पने वालों की ओर सरकार की कड़ाई का रुख होगा । राज्य के औद्योगीकरण के लिये अवस्थापना सुविधाओं के और अधिक विकास की ओर, विशेष कर उन क्षेत्रों में जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ध्यान दिया जायेगा ।

14—राज्य के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं । वर्ष 1987-88 में शुद्ध हानि 66.48 करोड़ रुपये है । सरकारी बजट का महत्वपूर्ण अंश उनके व्यय भार को निभाने में स्वीकृत करना पड़ता है और इस सीमा तक विकास के लिये संसाधनों में कमी होती रही है । घाटे का मुख्य कारण यह भी रहा है कि उनके गठन के समय आर्थिक सबलता एवं प्रबन्धीय योग्यताओं को नजरअन्दाज किया गया । अतः सरकार उनकी उपयोगिता, आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिकता और कार्यशैली की समीक्षा करेगी । मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि उनकी दशा में सुधार किया जाय और उनका प्रबंध सुयोग्य व्यक्तियों के हाथों में दिया जाय ताकि उनको व्यावसायिक तरीके से चलाया जा सके और उनमें व्याप्त अकुशलता, शिथिलता और भ्रष्टाचार की सम्भावनायें समाप्त की जा सकें ।

15—समुचित और समन्वित औद्योगिक विकास में श्रमिकों का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । मेरी सरकार श्रमिकों को उनका जायज हक दिलाने के लिए उनकी आर्थिक दशा और उनके कार्य की दशा में सुधार के लिये कदम उठायेगी । ऐसा वातावरण तैयार किया जायेगा जिससे वे उद्योगों के उत्पादन प्रबन्ध में अपने को भागीदार समझें और उत्पादन की वृद्धि में उत्साह और स्वेच्छा से सहयोग दें । उद्योगों के असंगठित श्रमिकों की सेवा-सुरक्षा और उनकी मजदूरी की दरों तथा अन्य सुविधाओं के प्रति भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है ।

16—ऊर्जा जनजीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है । उद्योग और कृषि क्षेत्रों के लिये विद्युत की समुचित आपूर्ति आवश्यक है । अतः शहरों और देहातों में विद्युत् वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जायेगा और यह प्रयास किया जायेगा कि विद्युत

की आपूर्ति अधिक से अधिक समय उपलब्ध हो । मेरी सरकार ने इस अल्प अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 14 घण्टे प्रतिदिन विद्युत् की आपूर्ति की चेष्टा की है । मेरी सरकार का प्रयास होगा कि अगले पांच वर्षों में प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण हो जाय । विद्युत् परिषद् की कार्य-कुशलता बढ़ने को शीर्ष प्राथमिकता दी जायेगी । विद्युत् वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार हेतु संसाधन जुटाने के लिये राजस्व अर्जन एवं उसके वसूली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना होगा ।

17—पिछले वर्षों में जन-साधारण के उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है । भीषण महंगाई ने मध्यम और गरीब वर्ग के व्यक्तियों की दशा को अति दयनीय बना दिया है । मेरी सरकार का प्रयास होगा कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि को रोका जाय और वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाय । मुनाफाखोरी और जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । शहरों और ग्रामीण अंचलों में जीवनोपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए उच्च-स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था की जायेगी । उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहित किया जायगा और सहकारी व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

18—प्रशासनिक व्यय में कमी करने और मितव्ययता की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा । इसी के अनुरूप मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं पर खर्चों में कमी करने और सादगी से जीवनयापन करने का संकल्प लिया गया है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये वे आदर्श बन सकें । उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि निर्धारित नीतियों के अनुरूप कार्य किया जाय और कथनी तथा करनी में अन्तर न करके यह सुनिश्चित किया जाय कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का समयबद्ध ढंग से अनुपालन हो ।

19—मेरी सरकार का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना भी होगा । मेरी सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन, स्वच्छ प्रशासन और कार्य-कुशलता तथा गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है । राज्य कर्मचारियों को प्रोन्नति का अवसर प्रदान करने के लिये अधिवर्षता के उपरान्त सेवा-विस्तार और पुनर्नियुक्तियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । सेवा-निवृत्ति पेंशन, ज्येष्ठता निर्धारण, तथा पदोन्नतियों के मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जायेगा ।

प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियों एवं उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता लायी जायेगी । सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सेवाभाव की प्रकृति को अपनाना होगा। शासन के उच्चतम स्तर पर भी ईमानदार एवं निष्ठावान छवि को सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश के मुख्य मंत्री सहित अन्य सर्वोच्च राजनैतिक पदों को भी लोक आयुक्त की जांच की सीमा में लाये जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

20—कानून और शान्ति व्यवस्था की स्थीति में सुधार के लिये मेरी सरकार वचनबद्ध है । डकैती, हत्या, लूटपाट तथा अपहरण जैसे जघन्य अपराधों की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । साम्प्रदायिक दंगे हमारे देश के लिये कलंक हैं, इससे आपसी भाई-चारे को ठेस पहुंचती है । साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले संस्कारों को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा । महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न की रोकथाम और निदान के उपायों को प्रभावी

ढंग से कार्यान्वित कराया जायेगा । पुलिस बल को जन-कल्याण के लिये अधिक सक्षम और गतिशील बनाने के लिये अपेक्षित सुविधायें दी जायेंगी और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जायेगा । साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये आवश्यक और अपेक्षित सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी। राज्य में सर्वत्र शान्ति व्यवस्था और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने का मेरी सरकार प्रयास करेगी ताकि जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके और भयहीन वातावरण में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो सके । 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, एक विशिष्ट समुदाय के विरुद्ध अत्याचार किया गया था। उस पर गठित श्री रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को अवश्य दण्डित किया जायेगा ।

21—न्यायालय जनता के अधिकारों के सजग प्रहरी हैं । नागरिकों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने के लिये मेरी सरकार न्यायालयों में रिक्त स्थानों के भरे जाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेगी । राज्य में पुराने लम्बित वादों की चिन्तनीय संख्या को देखते हुए न्यायिक ढांचे की समीक्षा आवश्यक है । घरेलू वादों के निस्तारण के लिये कुछ और जिलों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी । न्यायालयों से सम्बद्ध कार्यों में वादकारियों के व्यय भार को कम करने का प्रयास किया जायेगा । उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा ताकि गरीबों, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सहायता अधिक प्रभावी ढंग से दिलायी जा सके ।

22—राज्य में विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जायेगा और चिकित्सा सुविधाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लायी जायेगी । निर्धन वर्ग को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी चिकित्सालयों और औषधालयों में तथा चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त करने वाले वाह्य रोगियों से और चिकित्सालयों के जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों से विभिन्न प्रकार की सेवाओं, परीक्षण और भोजन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा । इसके अलावा प्रवेश शुल्क पांच रुपये से घटाकर दो रुपये और पंजीकरण शुल्क दो रुपये से घटा कर एक रुपया कर दिया गया है । नगरीय क्षेत्रों में 30 शैय्या वाले चिकित्सालयों में अब कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जायेगा । आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का समुचित विस्तार और विकास किया जायेगा ।

स्वच्छ जल आपूर्ति, पर्यावरण स्वच्छता, सुलभ शौचालयों तथा मलिन बस्तियों के सुधार हेतु मेरी सरकार कदम उठायेगी । यह भी प्रयास होगा कि प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाय ।

23—यह वर्ष 1990 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष है । शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार किया जायेगा ताकि राज्य का युवा वर्ग शिक्षा के अखिल भारतीय स्तर पर खरा उतरे । सभी प्राइमरी विद्यालयों के लिये भवन निर्मित कराने और शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपस्कर उपलब्ध करा कर शिक्षा का स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिये मेरी सरकार कटिबद्ध है । मेरी सरकार माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने पर विचार कर रही है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र का नियमितीकरण कराने और विश्वविद्यालयों में विद्यार्जन का स्वस्थ वातावरण बनाने का प्रयास किया जायेगा ।

24—पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों में तेजी लायी जायेगी ताकि पर्वतीय अंचल के अधिक से अधिक निवासी लाभान्वित हों तथा उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हों । पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार लघु उद्योगों का विस्तार किया जायेगा । यह प्रयास किया जायेगा कि प्रगति के चरण दूरस्थ क्षेत्रों में भी पड़ें ।

25—प्रदेश के आर्थिक संसाधन जुटाने एवं विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है । पर्वतीय क्षेत्र में तथा राज्य के अन्य भागों में पर्यटन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जायेगा । प्रसिद्ध तीर्थ और दर्शनीय स्थलों में पर्यटकों के लिये सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा ।

26—राज्य वन सम्पदा की सुरक्षा और परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिये वनों का विकास और विस्तार किया जायेगा । वृक्ष संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को सरल बनाया जायेगा ताकि जन साधारण को कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

27—पिछले वर्षों में लोकतंत्रीय संस्थाओं की पवित्रता को ठेस पहुंची है । लोकतंत्रीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाते हुए उनकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिये सरकार कृत संकल्प है । इसी दिशा में ऐसे 10 जनपद जहां जिला परिषदों का गठन नहीं हो सका, उनमें शीघ्र निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा ।

28—माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी नई सरकार की नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है । विधान मण्डल के इस सत्र के पूर्व आवश्यकतावश मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं जिनके प्रतिस्थानी विधेयक और कुछ अन्य विधेयक पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । संसद ने हाल में ही संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन के लिये विधेयक पारित किया है जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये संसद तथा राज्य विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रखने और संसद तथा राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन के प्राविधान को और 10 वर्ष के लिये बढ़ाया है । मेरी सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप वर्तमान आरक्षण नीति को मजबूती से लागू करेगी । इस प्रतिबद्धता के साथ-साथ अन्य वर्गों में भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को पूरी सुविधा और सहायता देगी । इस सत्र में आपसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि इस संविधान संशोधन के अनुसमर्थन का संकल्प पारित करें ।]

यदि आपकी इजाजत हो तो अंतिम पैरा पढ़ दूं।

29—"मेरी सरकार के सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। हिंसक और विघटनकारी ताकतों को परास्त करके रचनात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपनी शक्ति लगानी है और मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करते हुए राज्य में अमनचैन का माहौल तैयार करके विकास की दिशा में अग्रसर होना है। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे । इन शब्दों के साथ, मैं अपने को कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आहूत करता हूं । जयहिन्द ।"

(मेजों की थपथपाहट)

एक सदस्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं यह आदेश देता हूं कि महामहिम राज्यपाल के बारे में जो शब्द इन्होंने कहे हैं वह कार्यवाही से निकाल दिये जायं। व्यवस्था का प्रश्न तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि व्यवस्था का प्रश्न आप कितनी बार उठायेंगे ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, अब यह एजेण्डा आगे बढ़ाइये।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, जब तक दोनों पक्ष यह न कह दें कि यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय तब तक यह पढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता है। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रतियों के लिए कोई निर्देश नहीं दिया कि प्रतियां बांटी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी व्यवस्था सुन ली। आपका ध्यान कहीं और होगा। दूसरे यह कि प्रतियां बांटने के लिए मैंने निर्देश दे दिये हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आपके निर्देश का पालन नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

निर्देश का पालन हो रहा है।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

पालन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपने व्यवस्था क्या दिया?

श्री प्रमोद कुमार–

मुझे नहीं मालूम कि यह कौन से मंत्री हैं? आपने मुख्य मंत्री को बुलाया, तो ये खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मुझे स्पष्टीकरण दे दें। आप पुराने सदस्य हैं। व्यवस्था ऐसे चलती है? आप खड़े हो गये, बिना इस पीठ की अनुमति के बोलने लगे। आप कहते हैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और बोलने लगे। कल जो विचार मेरे विषय में व्यक्त किये गये हैं, उसके अनुरूप चलिये।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आपने अनुमति दिया था।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दिया था।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपने सम्बोधित किया कि मुख्य मंत्री पढ़ें, तो मान्यवर, मैं कैसे जानूं कि ये कौन मंत्री हैं? मान्यवर, इस सम्मानित सदन में मुख्य मंत्री और मंत्रियों का परिचय तो करा दें।

श्री अध्यक्ष–

कोई मंत्री किसी के सवाल का जवाब दे सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय मंत्री का परिचय तो करा दीजिए?

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989 को सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की के वर्ष 1984-85 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1984-85 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के वर्ष 1984-85 का सम्परीक्षित वार्षिक लेखा एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा परीक्षित रुड़की विश्वविद्यालय रुड़की का वार्षिक लेखा वर्ष 1984-85 को नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकल्स (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–2027 टी/30-4-6 पी-79, दिनांक 30 जून, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पचपनवां संशोधन) नियमावली, 1989 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–4370-टी/30-4-89-11-पी0-81, दिनांक 20 नवम्बर, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–एस0 टी0 दो-871/दस-7 (16)-84†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 29 जुलाई, 1989 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–एस0 टी0-दो-871/दस–7(16)–84 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1989 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर एक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-सूची उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में श्री मुईद अहमद स0 वि0 स0 की आपत्ति

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह जो पढ़ा जा रहा है इसकी कार्यसूची नहीं मिली है (व्यवधान) मान्यवर, यह सदस्य का अधिकार है कि कार्य सूची उसके घर पर उपलब्ध हो। हम लोग डालीबाग बहुखण्डी भवन में रहते हैं वहां कोई कार्यसूची उपलब्ध नहीं कराई गयी है जिससे मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आपके सदन में क्या कार्य हो रहा है। इस पर आप व्यवस्था दे दें।

---

†छापी नहीं गयी ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या-वि0 क0-2-2386/8-6(10)-85-उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-89†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 31 अगस्त, 1989 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-वि0-क0-2-2386/8-6 (10)-85-उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश-89, जो दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

कार्य-सूची उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुईद अहमद स0 वि0 स0 की आपत्ति

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण ने कार्यसूची न मिलने की आपत्ति की है। चूंकि कुछ माननीय सदस्यों के पते नहीं थे इसलिए हो सकता है कि उनके निवास पर कार्यसूची न पहुंच पाई हो। लेकिन यदि ऐसी कोई भूल हुई है तो भविष्य में यह भूल नहीं होगी, यह अति आवश्यक है कि कार्यसूची उन्हें उपलब्ध कराई जाय।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–2713/17-सं-1-89-132 (1) सं-80 (टी0 सी0), दिनांक 7 सितम्बर, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1989 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान एवं विघटित हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

शपथ ग्रहण न करने वाले सदस्यों को शपथ ग्रहण कर लेने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि जिन मा0 सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं की है, यदि वे उपस्थित हों तो किसी समय कक्ष में आकर शपथ ग्रहण कर लें क्योंकि जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है, उनको सदन में बैठने का अधिकार नहीं है और वह अजनबी समझे जाएंगे तथा उन पर प्रतिदिन का 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

(व्यवधान)

---

†छापी नहीं गयी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार इनके 3 सम्मानित मंत्रियों ने शपथ ग्रहण नहीं की है जिनमें श्री मो0 आजम खां भी शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनके बहुत से सत्तापक्ष में ऐसे मंत्री बैठे हैं, जिन्होंने सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की है। वे यहां की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकते। उनको मार्शल द्वारा बाहर निकलवाइये। जिन व्यक्तियों ने विधान सभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की है, कृपया मार्शल द्वारा उनको बाहर निकलवाइये।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, उधर जाकर इनके ज्ञान चक्षु खुल गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इनके ज्ञान चक्षु बन्द हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

सभी मंत्रीगण शपथ ले चुके हैं, केवल 6–7 सदस्य रह गये हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र †

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1989 द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन, जो कि संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के संबंध में लोक सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद की तद्विषयक कार्यवाहियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90 का अनुपूरक) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1989-90) का अनुपूरक विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 सितम्बर, 1989 को वापस प्राप्त हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 18वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 20 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 21वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 सितम्बर, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 22वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 अप्रैल, 1989 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 23वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गया और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 24वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अक्तूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 25वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अक्तूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 26वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 अक्तूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 27वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज भाषा (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 3 अक्तूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 28वां अधिनियम बन गया।

श्री प्रमोद कुमार के बार-बार उठकर खड़े होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद आप बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। मान्यवर, इससे आपको मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा आप बतायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, ज्यों ही आप आसन पर विराजमान हुए हैं, माननीय प्रमोद तिवारी जी तब ही से बार-बार खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। एक निवेदन है कि मार्शल के द्वारा उनकी सीट चेक करा दीजिये कहीं आलपीन तो नहीं है ?। कहीं उस कारण बैठने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ? मार्शल को भेजकर इसे दिखवा लें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व मुझे भी सुन लें, मेरा नाम आया है।

श्री अध्यक्ष–

जो उन्होंने आपत्ति की, वही आप आचरण कर रहे हैं। उनकी आपत्ति की पुष्टि न कीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं खुद उन्हें सन्तुष्ट कर दूंगा, जब सफल न हो पायें, तब आप भी सहायता कीजिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक ऐसी कुर्सी थी, वह कुर्सी वे अपने साथ लेकर वहां चले गये हैं।

श्री सुन्दर लाल बाराबंकी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत बैठें।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, जब आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने आपका हार्दिक अभिनन्दन किया था और सदन के समक्ष यह आश्वासन दिया गया था कि पूरा-पूरा सहयोग आपको देंगे। मान्यवर, इस सदन की अपनी गरिमा रही है। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने कहा अपने भाषणों में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी का जिक्र किया था और सदन की मान्यताओं और परम्पराओं का जिक्र किया था। मान्यवर, नेता विरोधी दल, नेता सदन तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने मान्यवर आपको उस सीट पर बिठाने में योगदान दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

सभी दलों के लोगों ने आपको पूरा-पूरा सहयोग का आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। आप सभी लोग बैठें।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

नेता विरोधी दल जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उनको लोकतंत्र की दुहाई देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने [xxx] की है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। पहले आप कृपया बैठ जाइये और मेरी बात सुन लीजिये। कोई भी महानुभाव, सम्मानित सदस्य कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो वह सीधे खड़े होकर बोलने लगते हैं। अभी जैसा माननीय राम सेवक चौधरी जी ने कहा, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि यहां की वाणी के बारे में तो मैं कुछ निर्देश दे सकता हूं, लेकिन अगर कोई व्यायाम करे, तो मुझे कुछ निर्देश नहीं देना है। जो आपत्ति आपने उठाई है, उसी के सम्बन्ध में मैं आज ही अपने कक्ष में सब दलों की एक मीटिंग बुलाऊंगा और यही कहूंगा कि जो कुछ हमारे संविधान, सम्मान में कहा गया था, उसी के अनुरूप भविष्य में कार्य करें।

रीजस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि रीजस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 अक्तूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 28 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 29वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1989 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 सितम्बर, 1989 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 3 अक्तूबर, 1989 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अक्तूबर, 1989 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1989 का उत्तर प्रदेश का 30वां अधिनियम बन गया।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 23 के अनुपालन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजधारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम–23 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, इसमें दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप बैठ जाइये। पहले मेरी बात सुनें, उसके बाद बोलें।

पहले एक व्यवस्था तय हो जाय कि व्यवस्था कैसे उठाई जायगी? मैं आप लोगों को बता दूं कि व्यवस्था का प्रश्न तथा भाषण मेरे नाम लेने पर प्रारम्भ होगा क्योंकि अगर यही व्यवस्था रही कि आपने कहा व्यवस्था का प्रश्न है और बोलना शुरू कर दिया, तो सभी सदस्य इसी प्रकार बोलना शुरू कर देंगे। मेरी नजर अगर आपकी तरफ नहीं है, तो आप मेरा ध्यान आकर्षित करें। लेकिन आप यह परम्परा न डालें कि कहा, व्यवस्था का प्रश्न है और बोलने लगे। अब आपको जो कुछ कहना है, वह कहें।

श्री राजधारी–

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 23 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपराह्न से पांच बजे अपराह्न तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, उसको सरकारी कार्य पर अग्रता प्राप्त होगी। लेकिन मद संख्या–17 जिसके बारे में आप सदन में सूचना देने जा रहे हैं, उसके नत्थी (क) में स्पष्ट दिया हुआ है कि दिनांक 12 जनवरी, 1990 को पड़ने वाले शुक्रवार को असरकारी कार्य न लिया जाय।

श्रीमन् मैं नया सदस्य हूं और नियमों तथा संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में मेरी जानकारी गहरी नहीं है, इसलिए मैं आपका विशेष संरक्षण चाहता हूं। मैं समाचार-पत्रों के माध्यम से इस माननीय सदन की गतिविधियों में रुचि लेता रहा हूं, अब तक मेरी जानकारी है कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, वह कल तक विपक्ष में थे, इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि

(कई सदस्यों द्वारा यह कहकर आपत्ति किये जाने पर कि सदन में कोई भी चीज किसी कागज से पढ़कर नहीं कही जा सकती, इनको रोका जाय)।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल सहायता के लिए नोट बना सकते हैं, लेकिन किसी चीज को यहां पढ़ नहीं सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 10 जनवरी, 1990 से 17 जनवरी, 1990 तक के तिथिवार कार्यक्रम की कार्य मंत्रणा समिति ने निम्न प्रकार संस्तुति की है, मैं इसे पढ़कर सुनाये देता हूं :–

जनवरी, 1990

10 बुधवार — 12.30 बजे अपराह्न

(क) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(ख) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुर:स्थापन आदि।

11 गुरुवार — निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त)

12 शुक्रवार — (क) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (5 बजे अपराह्न तक)

(ख) विधायी कार्य, यदि कोई हो।

13 शनिवार, 14 रविवार — बैठक नहीं होगी।

15 सोमवार, 16 मंगलवार, 17 बुधवार — श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(2) दिनांक 12, 15, 16, तथा 17 जनवरी, 1990 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं और

(3) दिनांक 12 जनवरी, 1990 को पड़ने वाले शुक्रवार को असरकारी कार्य न लिया जाय।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का उत्तर भी इसमें आ गया है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव लायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव किया गया है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम–56 के अन्तर्गत जो हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है, उसे छीना गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने, जिसमें सभी दलों के माननीय सदस्य प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया है और उसे मैंने आपके समक्ष रखा और अधिक संख्या से वह स्वीकार भी हो गया है।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। जिस समय आपका समय होगा, आप बोल सकते हैं। इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990†

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 1990†

आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया गया।

†दिनांक 11 जनवरी, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब कल 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

लखनऊः

सचिव, विधान सभा,

10 जनवरी, 1990

उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0–एल 377 विधान सभा–(623)–1990--813 ।